2021/338

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थीः– न्याज मोहम्मद पुत्र ईब्राहीम उम्र 65 वर्ष जाति खोखर मुस्लिम निवासी रघुनाथपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह।

बनाम्

अप्रार्थीः– मेहराम उर्फ मायाराम पुत्र बजरंगराम उम्र 26 वर्ष जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा, तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या.**117**.सन्–.....**2021**..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
02.08.2021	प्रार्थी न्याज मोहम्मद पुत्र ईब्राहीम उम्र 65 वर्ष जाति खोखर मुस्लिम निवासी रघुनाथपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थी मेहराम उर्फ मायाराम पुत्र बजरंगराम उम्र 26 वर्ष जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा, तहसील–डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान वगैरह ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद रघुनाथपुरा के खसरा सं0 49 व खसरा सं0 52 में नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" में दर्शित मार्क A, B, C, पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का रास्ता कायम नही करें और न ही किसी प्रतिनिधि/एजेंट से करावें व मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 3.09.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
3/9/21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड किया [illegible] पत्रावली [illegible] हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner